


बाते हाथी पाइये, बाते हाथी पांव

१९४१

चौधरी चरण सिंह



विशिष्ट रचनायें १९३३-१९८५



२६ जनवरी २०२२

चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित

www.charansingh.org

info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ
पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।
अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org


अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।



चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, १९५०

चरण सिंह का जन्म २३ दिसंबर १९०२ को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"* संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

* चरण सिंह के अपने शब्दों में



चौधरी चरण सिंह
भारत के प्रधान मंत्री। दिल्ली, १९७९

ग्रामीण भारत के जैविक बुद्धिजीवी

बाते हाथी पाइये—बाते हाथी पांव

बातचीत एक कला है, जिसका व्यावहारिक जीवन में बेहद महत्त्व है। चौधरी चरणसिंह ने 'शिष्टाचार' के ग्यारहवें अध्याय में 'बातचीत' शीर्षक के अन्तर्गत व्यक्ति को कब बोलना चाहिए, श्रोता भाव, सम्बोधन, निन्दा, स्तुति तथा बहस आदि विभिन्न विषयों का विश्लेषण भारतीय धर्मग्रंथों तथा विश्व प्रसिद्ध विद्वानों की युक्तियां देते हुए किया है।

अनकही बात अपनी चेरी है, पर कही हुई बात अपनी स्वामिनी हो जाती है। अतएव जीभ को सदैव अपने वश में रखना और समय पर विचार कर ही खोलना चाहिए; अर्थात् अपने को जो कुछ कहना है उसके हर पहलू पर विचार किए बिना और उसका जो परिणाम होगा उस पर सूक्ष्म निरीक्षण किए बिना कुछ न कहना चाहिए। ऐसा करने से अपकीर्ति का भय न रहेगा; किसी के सामने लज्जित न होना पड़ेगा और पश्चाताप व चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी।

कहावत है—

बाते हाथी पाइए—बाते हाथी पांव।

अर्थात् "बात अच्छी होने पर हाथी मिल सकता है और मुंह से बुरी बात निकलने पर हाथी के पांव तले रौंदा भी जा सकता है।"

समाज में बैठकर न अधिक बोलना चाहिए और न बिल्कुल चुप ही रहना ठीक है। शेखसादी का कथन है कि दो बातें मूर्खता की हैं, एक तो बात करने के अवसर पर चुप रहना, दूसरे—चुप रहने के स्थान पर बोलना। हिन्दी में भी एक उक्ति है कि "अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप्प।" अर्थात् मनुष्य को मितभाषी होना चाहिए।

शेक्सपियर ने अच्छी बातचीत का लक्षण इसी प्रकार बताया है:

"बातचीत प्रिय हो पर ओछी न हो, चुहल की हो पर बनावट लिये

न हो, स्वच्छंद हो पर अश्लील न हो, विद्वत्तापूर्ण हो पर दंभयुक्त न हो, अनोखी हो पर असत्य न हो।”

मधुर भाषण

हमारी वाणी में ही अमृत है, और इसी में विष है। जहां मीठी बातें बोली जाती हैं, वहां की हवा मधुमय हो जाती है और चारों ओर सुख ही सुख दीख पड़ता है और जहां कटु अथवा अशिष्ट भाषण होता है, वह स्थान नरक हो जाता है।

वेदों में वाणी के सम्बंध में एक प्रार्थना आती है:

जिह्वा अग्रे मधु गो जिह्वामूल मधूलकम् ।
ममेदहक्रतात्रसो मम चित्तमुपायसि ॥
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्
वाचा दामि मधुमद् मयासं मधुसन्दशः ॥

अर्थात् “मेरी जिह्वा के मूल में मधुरता हो। हे मधुरता, मेरे कर्म में तेरा वास हो और मन के अंदर भी तू पहुंच जा। मेरा आना—जाना मधुर हो, मैं जो भाषा बोलूं वह मधुर हो और मैं स्वयं मधुर मूर्ति बन जाऊं।”

मनु महाराज मधुर भाषण के लिए इस प्रकार उपदेश करते हैं:

“न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्” अर्थात् ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे। सच्ची बात यदि कड़वी है तो उसके लिए भी मीठे शब्द ढूंढिए और यह कोई कठिन काम नहीं है। राजर्षि चाणक्य कहते हैं:

“प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुश्यन्ति जन्तवः ।
तस्मात् प्रियं च वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।”

अर्थात् ‘प्रिय वाक्य बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा बोलने में कंजूसी कैसी?’ इस सम्बंध में संत प्रवर कबीर की दो साखियां हैं:

बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ।
हिये तराजू तोल के, तब मुख बाहर खोल ॥
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय ।
औरन को सीतल करै, आपहु सीतल होय ॥

गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है:

तुलसी मीठे वचन से, सुख उपजत चहुं ओर ।
वशीकरण इक मंत्र है, तजि दे वचन कठोर ॥

इस सम्बंध में नीतिशास्त्र के एक—दो वाक्य इस प्रकार हैं:

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः ।
 न स्नानं, न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः ॥
 वाणीयं समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते ।
 क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं ।

और भी—

काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः ।
 प्राप्ते वसन्तसमये, काकः काकः पिकः पिकः ॥

“कौआ और कोयल दोनों काले हैं, दोनों में क्या भेद है? बसंत ऋतु आने पर मालूम होता है, कौआ कौआ है, कोयल कोयल है।”

इसी को भाषा के कवि ने यों कहा है:

कागा कासो लेत है कोयल काको देइ ।
 मीठी बानी बोलिकै जग अपनौं करि लेइ ॥

मधुर भाषण का उद्देश्य यह है कि परस्पर बातें करने में एक—दूसरे के मान व आदर और आनंद व प्रेम का ध्यान रखा जाए, जिससे मनुष्य एक—दूसरे के निकट आ सके। अभिवादन करना, धन्यवाद देना, समाचार पूछना, आशीर्वाद देना, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें समझाना, इसी एक गुण के भिन्न—भिन्न अंश हैं। इसलिए भले आदमी का कर्तव्य है कि न ताना दे, न लानत भेजे और न कटु या अशिष्ट वाक्य कहे, अच्छी, मीठी बात कहे, वरना चुप रहे।

मधुर भाषण की इससे बढ़कर कोई कसौटी नहीं कि यदि विद्या, धन, बल अर्थात् सत्ता या आयु में छोटा कोई व्यक्ति आपके पास किसी काम से आए तो उससे बातचीत करने के अनंतर उसके मन में आपके विद्या, धन आदि में बड़े होने की अनुभूति हो और वह मन ही मन आपकी प्रशंसा करता जाए।

हास—परिहास

वह व्यक्ति जो निष्कपट और मन को हरनेवाला हास्य कर सकता है, मित्रमंडली की प्रसन्नता और आनंद का कारण बनता है। वह क्या कहता है इससे कुछ तात्पर्य नहीं, परन्तु उसके चुटकुले, बात कहने का उसका ढंग, एक प्रकार का शद्व—विन्यास जो वह अपने उत्तर—प्रत्युत्तर में भर देता है और उसका वाक्—चातुर्य, जिससे वह शब्दों और वाक्यों को कुछ से

कुछ अर्थ पहना देता है, ये गुण श्रोताओं के हृदय को प्रफुल्लित कर देते हैं और इसी कारण उसके लिए बातचीत के बहुत—से नियम शिथिल किए जा सकते हैं। पर हंसी—मजाक उसी को और उसी से करना चाहिए जो दूसरों के हंसी मजाक को सहन करने की शक्ति रखता है।

अपने मित्र, परिचित और समवयस्क व्यक्ति से परिहास करना उचित है। अपने से बड़ों और छोटों से हंसी—मजाक करना या उनके हंसी—मजाक में शरीक होना शोभा नहीं देता।

हंसी—मजाक में कभी विवाद आदि के अवसर पर भी गंदे और फहाश शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सभ्य लोग अश्लील बातों में कभी रस नहीं लेते। शिष्ट परिहास तो वही है, जिससे प्रसन्नता के साथ—साथ शिक्षा भी मिले और बुद्धि बड़े।

दूसरे की बुराइयों पर हंसना अर्थात् ऐसा परिहास करना न चाहिए जो किसी को बुरा महसूस हो। किसी के साथ हंसी—दिल्लीगी करने का मुख्य उद्देश्य चित्त को प्रसन्न करना है किन्तु अनुचित रीति से जो हंसी—दिल्लीगी की जाती है उसमें खुशी के बदले रंज ही उठाना पड़ता है। जब हंसी से एक के हृदय में चोट पहुंचे, तब वह हंसी, हंसी न रही बल्कि उपहास हो जाती है और उपहास करने पर परस्पर वैमनस्य हो जाता है, जिससे सबका अमंगल हो सकता है।

यद्यपि कविकुलगुरु कालिदास कहते हैं कि “परिहास विजल्पितं सखे, परमार्थेन न गृह्यतां वचः” अर्थात् “हे मित्र, हंसी में कही बात को सच मत मान लेना।” तथापि मित्र के साथ भी अनुचित विनोद करना हानिकारक है। कोई भी आदमी, चाहे वह परम मित्र ही क्यों न हो, हंसी के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अपमान सहन नहीं कर सकता।

महाभारत में आया है:

परिहासश्च भृत्यैस्ते नाव्यर्थं वदतां वर।

कर्तव्यो राजशार्दूल दोषा यत्र हि मे शृणु॥

अवमन्यन्ति भर्तारं संघर्षादुपजीविषः।

स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति लङ्घयन्ति च तद्वचः॥

अर्थात् “हे युधिष्ठिर, नौकर से कभी परिहास न करना चाहिए, इसमें बहुत दोष हैं। सुनो, परिहास करने से नौकर के दिल में मालिक के लिए मान नहीं रहता, नौकर अपने कर्तव्य पर स्थिर नहीं रहता और मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करता है।”

भाषा

हमें सदैव शुद्ध और उत्तम भाषा बोलनी चाहिए। जिन शब्दों का आपको शुद्ध उच्चारण मालूम न हो, उन्हें बोलना उचित नहीं और न ही बातचीत में उस भाषा के शब्द प्रयोग करने चाहिए, जिससे आप अपरिचित हों।

यह ध्यान रखना चाहिए कि वार्तालाप भाषाओं की खिचड़ी न हो जाए। जिस एक भाषा में आप बात कर रहे हैं, उसी में करनी चाहिए। प्रायः हिन्दुस्तानी में अंग्रेजी के अनावश्यक शब्द बहुत प्रयोग किए जाते हैं, यह ठीक नहीं है।

जहां कई मित्र या सज्जन बैठे हों वहां यथासम्भव ऐसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए, जिसे सब समझ सकें।

अगर किसी की भाषा में उच्चारण अथवा मुहावरे की कुछ गलती हो तो चश्मपोशी करनी चाहिए, उसमें संशोधन करना अशिष्टता है।

हिन्दुस्तानियों के लिए अंग्रेजों की नकल करके 'कोई है?', 'देको', 'जल्दी मांगता है', 'मालूम?' आदि अशुद्ध शब्दों अथवा शुद्ध शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करना बड़े शर्म की बात है। इसी प्रकार 'माता' के स्थान पर बच्चों से 'ममी' और पिता के स्थान पर 'पापा' कहलाना यह सिद्ध करता है कि ऐसे लोगों में कोई देशाभिमान नहीं है और वह अपनी भाषा व संस्कृति को विदेशी भाषा व संस्कृति से हीन व निम्न कोटि की मानते हैं।

निंदा व स्तुति

नीतिशास्त्र में कहा है:

यदैच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा ।
परापवाद सस्येभ्यो गां चरन्ती निवारय ॥

अर्थात् "यदि आप चाहते हैं कि एक ही कर्म से सारे जगत् को अपने वश में कर लें तो दूसरों के अपवाद—रूपी हरी खेती में चरने से गाय—रूपी अपनी वाणी को रोको।"

बूढ़े व्यक्ति, गुरुजन और किसी पूरी जाति की तो भूलकर भी निंदा नहीं करनी चाहिए, न किसी मृत व्यक्ति की ही निंदा करना उचित है, क्योंकि वह उसका जवाब देने को नहीं आ सकता।

कबीर साहब कहते हैं:

निंदक एक हू मत मिलो, पापी मिलो हजार।
इक निंदक के सीस पर, कोटि पाप का भार।।

परन्तु किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यों की शिष्टतापूर्वक आलोचना करना निंदा में शामिल नहीं है।

अगर किसी पेशे—विशेष का कोई व्यक्ति बैठा हो, तो उसके सामने उस पेशे वालों को बुरा न कहना चाहिए।

अपनी स्तुति आप करना उचित नहीं, दस आदमियों में बैठकर अपना जिक्र तब ही छेड़ना चाहिए जबकि अत्यन्त आवश्यक हो। स्त्रियों में आत्मप्रशंसा की प्रवृत्ति बहुधा पुरुषों की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। उन्हें उस प्रवृत्ति को कम करना चाहिए। उन्हें उचित है कि सदा अपने ही विषय में अथवा अपनी वस्तुओं, गहने, वस्त्र आदि की चर्चा न करें और न अपनी संतान की ही प्रशंसा करती रहें।

यद्यपि किसी की भलाई का उल्लेख अथवा वर्णन करना प्रायः किसी अवसर पर भी अनुचित नहीं है, लेकिन अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो किसी व्यक्ति—विशेष की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता हो, तो कदापि उस व्यक्ति के गुण उसे सुना—सुनाकर न कहने चाहिए।

कब बोलें

बिना पूछे, बिना कहे अपनी सम्मति देना या किसी की बातचीत में बोलने लगना अथवा दखल देना असभ्यता है। जब कोई आपसे बातचीत करे या पूछे—ताछे तभी बोलना ठीक है, वरना चुपचाप सुनते रहना चाहिए। यदि बीच में बोलना ही हो तो पहले नम्रतापूर्वक बोलने की अनुमति ले लेनी चाहिए। लोकजीवन के व्याख्याता एवं कवि श्री जायसी ने पद्मावत में ठीक ही कहा है:

बिन पूछे जो बोलहि बोला।
होइ बोल माटी के मोला।।

यदि दो ऐसे व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों, जो आपके परम मित्र न हों या जिनके ढंग से ऐसा मालूम होता हो कि उनकी बातचीत गोपनीय है, तो आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए और न उनकी बातचीत सुनने या मालूम करने की चेष्टा ही करना उचित है। यदि उनमें से किसी से

कुछ काम हो अथवा अन्य कारणवश वहां जाना ही पड़े, तो उनके बीच में न बोलना चाहिए और इतनी दूरी पर रहना चाहिए कि बातचीत सुनाई न पड़े। उनके पास आज्ञा लेकर जाना ही मुनासिब है या फिर बातचीत समाप्त हो जाने के अनन्तर। परन्तु बातचीत में मग्न व्यक्तियों का कर्तव्य है कि यदि कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहे तो उसकी बात शीघ्र ही स्नेहपूर्वक सुन लें। अगर आपको कोई बात अपने किसी ऐसे मित्र से निजी तौर पर कहनी हो जो सभा में बैठे हों तो उनको अलग बुलाने के लिए उनके दूसरे साथियों से क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा तो यही है कि आप अपने मित्र से उस समय बात न करके, कोई दूसरा अवसर निकालें।

यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बात समाप्त होने पर अथवा बातचीत में उसके कुछ ठहर जाने पर ही आपको कुछ कहना या जवाब देना चाहिए। यदि बीच में बोलना ही आवश्यक हो तो 'क्षमा कीजिए, आपकी बात कटती है' आदि वाक्य कहकर ही बोलना उचित है। पेश कलामी करना अर्थात् जो कुछ दूसरा व्यक्ति कह रहा है, उसके आगे-आगे पहले से ही शब्द या वाक्य बोल देना और उसकी बात के अंतिम शब्दों को दोहराना भी अनुचित है।

बातों के सुनने की कला

अगर कोई आपको सम्बोधन करे तो उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उदासीनता प्रकट करना अशिष्टजनों का काम है। दूसरे की बात के बीच में बार-बार यह पूछना कि 'आपने क्या कहा?' सिद्ध करता है कि आप उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं।

अगर उसकी बातों में कोई ऐसा विषय, घटना या कहानी हो जिसे आप पहले से जानते हों तो उसकी बात काटकर अपनी जानकारी प्रकट न करें, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनते रहें।

जहां चार आदमी बातचीत कर रहे हों, वहां बीच में पुस्तक या समाचार पत्र पढ़ने लग जाना उचित नहीं है।

अगर कोई आदमी ऐसी बात कहे जो आपके अनुभव के विपरीत हो तो उसको अनसुनी कर देना चाहिए, जैसे कि आपने सुना ही नहीं है। अगर आपको सम्बोधन करके कहा जाए तो झटपट यह न कह बैठना चाहिए कि "ऐसी बात तो हमने न देखी और न सुनी," क्योंकि इस वाक्य से बोलने वाले की सच्चाई पर संदेह प्रकट होता है और यह आवश्यक नहीं कि जो बात आपके अनुभव में न आई हो वह अवश्यमेव गलत हो।

सम्बोधन आदि

गुरुजन का नामोच्चारण करना असभ्यता है, उनको सदैव सम्बंधसूचक शब्द अथवा उनके पद या उप-नाम द्वारा और ऐसे शब्द के पीछे 'जी' अथवा 'साहब' लगाकर ही सम्बोधन करना उचित है, जैसे—गुरुजी, मास्टर साहब, माता जी, पिता जी, चाचा जी, भाई साहब, प्रधान जी, राय साहब, स्वामी जी, पंडित जी, मौलवी साहब, चौधरी साहब, बाबू जी इत्यादि। उनकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम आदर से लेना चाहिए।

किसी संन्यासी, शास्त्री, आचार्य या डाक्टर को केवल उपाधि से ही सम्बोधन करना चाहिए।

बराबर वालों को बुलाने या उनकी चर्चा करने में उनका पूरा नाम लेना और नाम के पहले श्रीमान्, पंडित, बाबू, महाशय चौधरी आदि, जो उपयुक्त हो, अवश्य लगाना चाहिए। परन्तु उनके नाम के पहले कुछ न कहकर पीछे केवल 'जी' या 'साहब' का प्रयोग करने से भी काम चल सकता है, जैसे 'कृष्णचन्द जी'।

अपने से छोटे अथवा नौकर को नाम लेकर ही सम्बोधित किया जाता है। किसी को भी बुलाते समय उसके नाम से पहले 'ए' या 'ओ' न लगाना चाहिए। किसी का लाड़-प्यार में रखा हुआ अथवा अधूरा नाम न लेना चाहिए। ऐसा नाम उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है, जो उस नाम को बोलने के अधिकारी हैं या जिन्होंने वह नाम रखा है।

पति—पत्नी का परस्पर सम्बोधन 'देखो तो', 'सुनो तो सही' आदि अर्थशून्य वाक्य कहकर करना ठीक नहीं है। पति के लिए अपनी पत्नी का नाम लेना या नाम लेकर बुलाना भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और प्राचीन काल में वही रिवाज था। अपने बड़े का नाम लेकर सम्बोधन करना अनुचित समझा जाता है। इसलिए पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी वरन् 'आर्य' या 'आर्यपुत्र' कहती थी। परस्पर सम्बोधन की यह रीति अतिउत्तम थी और पुनः शुरु हो जाये तो अच्छा है। लेकिन आजकल 'आर्य' या 'आर्यपुत्र' का प्रचलित होना प्रायः असम्भव—सा है, अतः पत्नी पति को 'श्रीमानजी' या उसका गोत्र अथवा उपनाम शर्मा जी, गौतम जी, गुप्त जी, खन्ना जी, वात्स्यायन जी, चौधरी साहब, मौलवी साहब, पंडित जी, राणा जी आदि अथवा व्यवसायात्मक नाम—जैसे डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब, आदि कहकर पुकार सकती है। पत्नी का नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए परन्तु यदि यह न हो सके तो पत्नी के लिए श्रीमती जी, देवी जी आदि कहा जा सकता है। पाश्चात्य

समाज में पति—पत्नी का परस्पर नाम लेने का चलन कुछ हिंदुस्तानी घरानों में भी जारी हो गया है।

दूसरे मनुष्य से बातें करते हुए अपनी पत्नी के लिए 'घर से' या ऐसा ही अन्य निरर्थक शब्द या वाक्य नहीं कहना चाहिए, 'गृहिणी' आदि शब्दों का प्रयोग करना उचित है।

यदि आप किसी आदमी से कुछ कहना चाहते हैं तो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसका हाथ पकड़ना या उसके कपड़े झटकना अशिष्टता है।

यदि कोई बड़ा बुलाये तो 'क्या' 'ऐं' या 'हां' न कहना चाहिए। 'जी', 'जी हां', 'जी अभी सेवा में उपस्थित हुआ' आदि कहना ठीक है। बराबर वाले या इष्ट मित्र से भी इसी प्रकार के शब्द या वाक्य कहने में हर्ज नहीं, वरन् आपकी नम्रता ही ज़ाहिर होती है। अपने से छोटे या नौकर—चाकर से 'क्या' या 'हां' कहने का ही रिवाज है।

बातचीत में बड़ों को सदा 'आप' या 'श्रीमान् जी' कहना चाहिए, 'तुम' नहीं। बराबर वालों को भी 'आप' ही कहना अच्छा है। जो अपने से छोटे हैं अथवा स्नेह के पात्र हैं उन्हें 'तुम' अथवा 'तू' कहकर सम्बोधन किया जा सकता है।

कोई भद्र पुरुष यदि आपको 'आप' कहकर पुकारे तो आपको उसे कभी 'तुम' नहीं कहना चाहिए। जब वह आपको 'आप' कहता है तो उसका अर्थ है कि वह चाहता है कि दूसरे लोग भी उसे वैसा ही संबोधन करें। उसके प्रति आपका 'तुम' कहना नितांत अनुचित है।

अगर दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों और उनमें से एक के विषय में संकेत करके दूसरे से उस समय कोई बात पूछी या कही जाए तो उसके लिए 'इनका' या 'इनसे' आदि शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए बल्कि 'आपका' या 'आपसे' कहना चाहिए। उदाहरणार्थ, बलभद्र से रामेश्वर की उपस्थिति में किसी विषय के सम्बंध में रामेश्वर का मत पूछे तो यह न कहना चाहिए कि 'इनका विचार इस सम्बंध में क्या है?' बल्कि यह कि 'आपका (रामेश्वर जी का) मत इस सम्बंध में क्या है?'

अपना नाम लेते समय उसके आगे—पीछे सम्मानसूचक शब्द न लगाना चाहिए और न अपने लिए 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग करना ही उचित है।

'जो है सो करके', 'राम तुम्हारा भला करे', 'समझे जी' आदि किसी तकिया कलाम की आदत न डालनी चाहिए, न 'अरे' शब्द का प्रयोग करना ही उचित है। बातचीत में ऐसे अनावश्यक शब्दों को बार—बार कहना अच्छा नहीं है।

सौगंध खाने की आदत अच्छी नहीं है, सौगंध खाने में न वीरता है, न सौजन्य और न बुद्धिमानी।

धन्यवाद या क्षमायाचना

बातचीत में साधारणतया 'कृपा करके मुझे दे दीजिए' या 'अगर आपको कष्ट न हो तो मुझे किताब उठा दीजिए' आदि वाक्यों का प्रयोग करना उचित है। ऐसी मधुर भाषा से सम्बोधित व्यक्ति समझ लेता है कि आप उसे कष्ट नहीं देना चाहते और दूसरों की छोटी-छोटी सेवाओं को भी धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं।

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे छोटा अथवा सुहृद नहीं है, आपका काम कर दे, उदाहरणार्थ आपकी संकेतित वस्तु पकड़ा दे या गिरी हुई वस्तु उठा दे, तो नम्रता के साथ उसे 'धन्यवाद' देना चाहिए। मुसलमानों में ऐसे अवसर पर 'तसलीम' कहने का रिवाज है। गुरुजनों का ऋण इतना महान है कि उनको धन्यवाद देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

अगर किसी व्यक्ति को आपसे क्षमा मांगने की नौबत आ जाये तो आपको कहना चाहिए, 'नहीं, कुछ हर्ज नहीं।' इसका यह अर्थ नहीं कि क्षमा मांगना आवश्यक न था, बल्कि यह है कि अब आप उस पीड़ा को भूल गये जिसके लिए उसने क्षमा मांगी है। यह केवल नियम-निर्वाह के लिए ही नहीं, बल्कि दिल से भी होना चाहिए।

बहस से बचो

बहस से यथासम्भव बचना चाहिए और मैत्री-भाव से प्रारम्भ की गयी बातचीत को वाद-विवाद के रूप में परिणित न होने देना चाहिए। अगर किसी बहस में फंस भी जाएं तो धैर्य व शांति से काम लें और अपनी राय नम्र भाषा में स्पष्टतया बयान कर दें। हरगिज यह न कहना चाहिए कि 'मैं तुमसे अधिक जानता हूँ' या कि 'तुम सरासर गलती पर हो।' अगर आप सहमत नहीं हो सकते तो कहना चाहिए, 'नहीं, मुझे आपसे सहमत होने में कठिनाई है, सम्भव है, मेरी गलती हो, परन्तु मेरी राय यही है' अथवा 'जहां तक मुझे मालूम है, घटना इसी प्रकार है।' अगर आप देखें कि दूसरे का मत आपकी राय के सर्वथा विपरीत है, तो आपको चतुराई से उस विषय को छोड़कर दूसरा प्रसंग उठा लेना चाहिए।

इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म, राजनीतिक दल या जाति के किसी सिद्धांत अथवा रिवाज की आलोचना करे तो क्रोध प्रकट करना

उचित नहीं, नम्रता के साथ उसके गलत विचार को दुरुस्त करने का यत्न करें और यदि इस पर भी वह अपनी राय न बदले, तो बात बदलकर दूसरा विषय छेड़ दें, वरन् चुप हो जाएं, बहस न करें।

मित्र के साथ भी अनावश्यक वाद—विवाद करना अनुचित है, क्योंकि इससे बहुधा गाढ़ी से गाढ़ी मित्रता भंग हो जाती है।

बड़ों से बातचीत

अपने गुरुजन, स्त्रियों और पद—प्रतिष्ठा में जो माननीय हों, उनके साथ साधारण से कुछ अधिक विनय, नम्रता एवं शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए। बातों में लापरवाही, उद्दंडता और असंगतता न आने देनी चाहिए।

अगर आप अपने किसी बड़े अथवा माननीय व्यक्ति से बातचीत करते हुए सहमत न हो सकें, तो यह न कहना चाहिए कि 'आप भूल करते हैं' या 'आपकी समझ में मेरी बात नहीं आई', ऐसी चर्चा ही न करें। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो कहें, 'मेरे शब्द कदाचित् स्पष्ट नहीं थे' या मैं अपना अर्थ नहीं समझा सका।

गुरुजन एवं मान्य पुरुषों के खड़े रहते हुए बात करने पर आपको स्वयं न बैठे रहना चाहिए, बल्कि उनके सामने खड़े होकर बातचीत करनी चाहिए।

यदि आप किसी चबूतरे या अन्य ऊंची जगह पर खड़े हुए हैं और किसी गुरुजन या मान्य व्यक्ति से, जो नीचे खड़े हुए हों, बातचीत करनी हो, तो नीचे उतरकर ही बातचीत करनी चाहिए। इसी प्रकार गाड़ी, साइकिल, घोड़े आदि से उतरकर ही गुरुजन या मान्य व्यक्ति से बातचीत करना उचित है।

गुरुजन और मान्य व्यक्तियों से बातचीत करते समय पान खाना या सिगरेट आदि पीना सभ्य समाज में अच्छा नहीं समझा जाता; विशेषकर जब कि वह स्वयं उन वस्तुओं का प्रयोग न करते हों। बड़ों के सामने जब मैं हाथ रखकर बातचीत करना उद्दंडता का सूचक है।

बातचीत का ढंग

बातें करते समय एक—दूसरे की तरफ देखना चाहिए। दूसरी दिशा में अथवा खिड़की या छत की ओर निगाह करके, या नीची आंखें करके बातें करना अशिष्टता है। पर बिल्कुल आंख से आंख मिलाये रहना या घूरकर एक—दूसरे की ओर देखते रहना भी उचित नहीं है।

बातचीत के समय नाक पर उंगलियां रखने अथवा ठोड़ी पकड़े रहने की आदत अच्छी नहीं है।

बातचीत करने में अनावश्यक रूप में हाथ या कंधों को अथवा नाक, भौंह या होठों को हिलाना, त्योंरी चढ़ाना या पलकों को बार—बार झपकाना, मूँछ ऐँटना या दाढ़ी से खेलना और जंघा अथवा शरीर के अन्य किसी अंग को खुजलाना सभ्यता के विरुद्ध है।

किसी दूसरे आदमी से बातें करते समय अपना मुंह उसके मुंह के अति निकट न ले जाना चाहिए और न उसकी ओर जोर से मुंह द्वारा सांस ही छोड़नी चाहिए।

बातें करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मुख से थूक की छीटें न उड़ें।

किसी की बात का उत्तर सिर हिलाकर नहीं देना चाहिए।

बातचीत इतनी ऊंची आवाज में करनी चाहिए कि आपकी बात स्पष्ट सुनाई दे, परन्तु आवाज इतनी ऊंची भी न हो कि निकट बैठे हुए व्यक्तियों की बातचीत में विघ्न पड़े, चीख—चीखकर बातें करना तो बिल्कुल असभ्यता है, विशेषकर स्त्रियों के लिए अत्यन्त उच्च अथवा कर्कश स्वर से बोलना अक्षम्य है।

इतनी जल्दी न बोलना चाहिए कि लोगों की समझ में ही न आये और इतनी मन्द गति से ठहर—ठहरकर बोलना या विस्तारपूर्वक कहना भी ठीक नहीं है कि सुनने वाले उकता जाएं।

बातचीत का विषय

किसी से बातचीत आरम्भ करने से पूर्व इतना विचार कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का स्वयं बातें करने को जी चाहता है अथवा वह आपकी बातें सुनने की इच्छा रखता है! बहुधा लोग स्वयं बातें करना बहुत पसंद करते हैं और सुनना कम। इसलिए दिल लगाकर सुनने का गुण सराहनीय है। जिस किसी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी बातें ध्यान से सुनें। बड़ों से बातें करते समय, बातचीत का विषय चुनने का अवसर उन्हें दें, जब वे कोई विषय न छेड़ें, तब आप शुरू कर सकते हैं।

मित्रमंडली में बैठकर सारा समय आपको ही अपनी बातों के लिए नहीं ले लेना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी बात करने व कहने का अवसर देना चाहिए।

मित्रमंडली में बैठकर बार—बार अपने लतीफे व कहानी आदि का दुहराना उचित नहीं, अर्थात् जो बातें पहले सुना चुके हैं उनको फिर—फिर

न कहें। ऐसी बातें बहुत कम होती हैं जो दुबारा या तिबारा कहने पर भी अच्छी लगें।

किसी विषय में आपकी विशेष रुचि है तो सदैव उसी का जिक्र न छोड़ना चाहिए। जहां कई मित्र या सज्जन जमा हों वहां यथासम्भव ऐसे विषय पर बातचीत करना उचित है जिसे सब समझ सकें अथवा जिसमें सबकी रुचि हो। अगर कोई ऐसी बात कहे, जिसके अर्थ या प्रसंग को सब न समझते हों, तो उसका आशय सब पर प्रकट कर देना चाहिए।

मित्रमंडली में बैठकर शिक्षा या उपदेश करना अनुचित है। लोग आपस में इस दृष्टि से एकत्र नहीं होते कि जाकर नसीहत सुनें, बल्कि मनोरंजन के विचार से होते हैं। इस कारण समाज में वह व्यक्ति सर्वप्रिय होता है जो केवल लोगों के गुणों पर दृष्टि रखता है और उनके अवगुणों पर ध्यान नहीं देता।

जिस प्रकार की सभा या समाज में आप सम्मिलित हैं उसके अनुकूल ही बातें करनी चाहिए। दुःख अथवा संवेदना की कथा में परिहास करना अनुचित है और आनंद की गोष्ठी में शोक की बातें करना भी वर्जित है।

जिससे बातचीत की जाए उसकी अवस्था व योग्यता आदि का विचार रखना आवश्यक है। नवयुवकों से वैराग्य की बातें करना और वयोवृद्ध लोगों को श्रंगार रस की विशेषताएं बताना या उनके सामने बुढ़ापे के कष्ट और बुराइयों बयान करना शिष्टाचार के विरुद्ध है। साधु—संन्यासियों अथवा किसी विधवा युवती के सामने विवाहित जीवन के विलास या सुखों की चर्चा करना भी अशिष्टता है।

जहां बहुत से लोग बैठे हों वहां ऐसे विषय या पुरुष की चर्चा न करनी चाहिए जिससे लोगों को ग्लानि, विरोध अथवा घृणा हो। न अपने पेशे व रोज़गार की या अन्य घरेलू बातों की ही चर्चा करना उचित है। अपने दुःख की बात का उल्लेख करना तो बिल्कुल ही अनुचित है। किसी सभा या समाज में बैठकर इस प्रकार की बातें जिससे किसी व्यक्ति को अप्रिय घटनाएं या पूर्वकाल की विपत्तियां याद आयें अथवा सुनने में संकोच हो, नहीं करनी चाहिए।

अगर किसी के वेश आदि से यह प्रकट हो कि वह किसी मृत व्यक्ति के लिए शोक मना रहा है तो उससे सीधा यह प्रश्न न करना चाहिए कि “आपके यहां किसकी मृत्यु हो गयी है?” बल्कि गंभीरता से पूछना चाहिए, “कहिए, कुशल तो हैं?” और उसके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए।

साधु—संन्यासियों से बिना विशेष कारण के उनकी पूर्व जाति व वृत्ति अथवा वैराग्य का कारण पूछना असभ्यता है।

कभी किसी युवा विधवा से यह न पूछना चाहिए कि पुनर्विवाह में

उसका विश्वास है या नहीं और न किसी तरुण स्त्री से उसकी आयु के सम्बंध में ही कोई प्रश्न पूछना चाहिए।

किसी से यह न पूछना चाहिए कि उसे अमुक भोज, पार्टी या उत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया और न उससे उस भोज आदि के सम्बंध में अन्य बातचीत करना ही उचित है।

किसी से, विशेषकर अपरिचित से, उसका वेतन, आय, व्यवसाय, वय या जाति व वंशावली न पूछनी चाहिए, जब तक कि पूछना परम आवश्यक न हो। न यह पूछना चाहिए कि वह विवाहित है या नहीं और न यह कि उसके कितने बच्चे हैं। वस्त्र, आभूषण आदि का मूल्य भी किसी अजनबी से न पूछना चाहिए।

यदि कोई सज्जन आपका प्रश्न सुनकर भी उत्तर न दें तो फिर उससे उसके लिए आग्रह न करना चाहिए। यदि ऐसा जान पड़े कि वह उत्तर देना भूल गया है तो अवश्य ही उससे दूसरी बार नम्रतापूर्वक प्रश्न किया जा सकता है। वैसे किसी से भी कुछ पूछते समय प्रश्न की झड़ी लगा देना उचित नहीं है।

चौधरी चरण सिंह द्वारा रचित कृतियां

शिष्टाचार, १९४१. (२०१ पृष्ठ)

हाउ टू एबोलिश जमींदारी: द्विवच एल्टरनेटिव सिस्टम टू एडाप्ट। (जमींदारी उन्मूलन कैसे करें: किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाएं) १९४७. इलाहाबाद: सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

एबोलिशन ऑफ जमींदारी: टू अल्टरनेटिव्स। (जमींदारी उन्मूलन: दो विकल्प) १९४७. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (२६३ पृष्ठ)

एबोलिशन ऑफ जमींदारी इन यू० पी०: क्रिटिक अंसरड। (उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन: आलोचकों को जवाब) १९४९. इलाहाबाद: सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।

व्हितहर कोआपरेटिव फार्मिंग? (सामूहिक खेती की दिशा?) १९५६. इलाहाबाद: सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश।

एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। (उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति) १९५७. प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश १९५८ लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश। (६६ पृष्ठ)

जॉइंट फार्मिंग एक्स-रैंड: द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। (संयुक्त खेती: समस्या और समाधान) १९५९. किताबिस्तान, इलाहाबाद. (३२२ पृष्ठ)

इण्डियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन। (भारत की गरीबी और उसका समाधान) १९६४. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई। (५२७ पृष्ठ)

इण्डियन इकोनॉमिक पॉलिसी: दि गांधियन ब्लूप्रिंट। (भारत की अर्थनीति: एक गांधीवादी रूपरेखा) १९७८. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (१२७ पृष्ठ)

इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इण्डिया: इट्स कॉज एण्ड क्योर। (भारत की भयावह आर्थिक स्थिति: कारन एवं निदान) १९८१. नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (५९८ पृष्ठ)

लैण्ड रिफॉर्म्स इन यू० पी० एण्ड दि कुलकस। (उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं कुलक वर्ग) १९८६. विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली। (२२० पृष्ठ)

‘विशिष्ट रचनाएं: चौधरी चरण सिंह’ भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह द्वारा १९३३ और १९८५ के बीच लिखित २२ महत्वपूर्ण लेखों और भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक के अध्ययन से आज का पाठक वर्ग जान सकेगा कि मौजूदा समय की चुनौतियां न तो नई हैं और न ही समाधानहीन। इनसे निपटने के लिए एक मन-सोच अथवा जिगरा चाहिए, जो निश्चय ही धरा-पुत्र चरण सिंह में था। उनका लेखन उस प्रकाशस्तंभ की तरह है जो समुद्र में भटके हुए जहाजों को किनारे तक आने का रास्ता दिखाता है। उनके लेखन के आलोक में हम मौजूदा चुनौतियों को सही परिप्रेक्ष्य में न केवल समझ सकते हैं अपितु उनका समाधान भी पा सकते हैं। इन लेखों में उनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि के दर्शन होते हैं। विषयवस्तु की दृष्टि से इन लेखों को सामाजिक लेखन, आर्थिक लेखन, राजनीतिक लेखन एवं उपसंहार — चार खण्डों में विभाजित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह की अध्यात्मिक अंतश्चेतना और राजनीतिक मेधा महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं महात्मा गांधी से अनुप्रेरित रही, तो सरदार पटेल उनके नायक रहे। इन विभूतियों पर चौधरी साहब ने अपने विचार लेखों में प्रस्तुत किये हैं। जाति-प्रथा, आरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रभाषा जैसे सामाजिक मुद्दों के साथ ही शिष्टाचार जैसे विरल विषय पर भी दो लेख **खण्ड एक: सामाजिक लेखन** में दिये गये हैं।

चौधरी साहब भारत की उन्नति का मूल आधार कृषि, हथकरघा और ग्रामीण भारत को मानते थे। उनकी दृष्टि में ग्रामीण भारत ही वह नियामक तत्व रहा जिसे प्रमुखता देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, साथ ही बेरोजगारी जैसी विकट समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सम्बंधी सुधारों और जमींदारी समाप्त करने को लेकर चौधरी चरण सिंह पर धनी किसानों के पक्षधर होने के आरोप विरोधियों ने लगाये। उनका उन्होंने बेहद तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। गांव-किसान और खेती के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियां एवं काले धन की समस्या जैसे तथा उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित लेख **खण्ड दो: आर्थिक लेखन** के अन्तर्गत दिये गये हैं।

खण्ड तीन: राजनीतिक लेखन के अन्तर्गत भारत की लम्बी गुलामी के मूल कारणों का विश्लेषण, गांधी-चिंतन, देश में पहली गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार की आधारभूत नीतियां, देश विख्यात माया त्यागी कांड का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, भाषा आधारित राज्यों के खतरे आदि मुद्दों के अलावा उनके नायक सरदार पटेल की स्मृति पर आधारित लेख हैं। इसी खण्ड में चौधरी साहब के ऐतिहासिक महत्व के दो भाषण भी संकलित हैं, जो लोकशाही पर संकट और राष्ट्रीय विघटन के खतरों के प्रति सचेत करते हैं।

अंतिम **खण्ड चार: उपसंहार** है, जिसमें चौधरी साहब ने राजनीति, समाज नीति और देश से सम्बंधित अधिकतर मुद्दों पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं।

